**महत्वपूर्ण परिपत्र**


कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद -500 009

**OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS**

No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

**दूरभाष/TELE: 040-27843385** **फैक्स/FAX:040-27817275**


**सं./No.AN/III/2011/Misc/2015-16** **दिनांक/Dated: 18.05.2015**

सेवा में,
सभी अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची के अनुसार)
मुख्य कार्यालय के सभी ग्रूप अधिकारी/व.ले.अ./ले.अ.
मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग

विषय : पुराने अभिलेखों की छँटाई।

****

कार्यालय नियम पुस्तक भाग-2 (जिल्द-1) के पैरा 61 के अनुसार, जिन अभिलेखों की अनुरक्षण अवधि पूरी हो चुकी है उनकी अच्छी तरह जाँच करने के उपरांत यदि उनमें कोई भी ऐसी सूचना नहीं है जिसके कारण उनका निपटारा न किया जा सके, उन अभिलेखों की छँटाई की जानी चाहिए । नियम-पुस्तक में पुराने अभिलेखों की छँटाई के लिए निम्नांकित प्रक्रिया का अनुकरण करने का निदेश दिया गया है :

गुप्त और गोपनीय अभिलेखों और (समयावधि समाप्त) भुगतान किए गए चेकों को अनिवार्य रूप से एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में जलाकर नष्ट किया जाना चाहिए । अवर्गीकृत अभिलेख, जिनके कारण सुरक्षा संबंधी सूचना प्रकट होने की संभावना है, को छोटे-छोटे टुकड़ों में फाड़कर नष्ट किया जाना चाहिए ।

उपलब्ध स्थान की प्रभावी उपयोगिता के लिए और जिन अभिलेखों की समयावधि पूरी हो चुकी हो उनकी छँटाई की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ये अभिलेख जब भी निपटान/नष्ट करने के लिए तैयार हों, उनके विवरण एक रजिस्टर (IAFA-492) में प्रविष्ट किए जाएंगे जो समय-समय पर नियंत्रक कार्यालय में संबंधित अनुभागों के प्रभारी सहायक नियंत्रक/व.ले.अ./ले.अ. को संवीक्षा और निपटान-आदेश के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और उप-कार्यालयों में प्रभारी सहायक नियंत्रक/व.ले.अ./ले.अ. को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

यह एक अधिभावी शर्त है कि जो मामले जाँच-पड़ताल के अधीन है अथवा जिन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है अथवा जिनमें कुछ ऐसे बकाया मद हैं जिनका अभी तक निपटान नहीं हुआ है उन पर तब तक समय-समाप्ति की घोषणा नहीं की जा सकती है जब तक सभी कार्रवाई अथवा जाँच-पड़ताल समाप्त नहीं हो जाता और सभी मदों का निपटान नहीं कर दिया जाता।

उपरोक्त प्रावधानों के प्रकाश में, कार्यालय/अनुभागों में उपलब्ध पुराने अभिलेखों की, उनके अनुरक्षण अवधि के संदर्भ में, **परम अग्रता** प्रदान करते हुए, छँटाई कर ली जाए ।

हस्ता/-
(बी. बाल जवाहर)
रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक (प्रशा)